MP Education Gyan Deep
https://septadeep.blogspot.com

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-12/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक / सितम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ बी-11/1/87/नि-2/चार, दिनांक 16-4-1987, एफ बी-11/1/87/आर-2/चार, दिनांक 15-6-1987, एफ बी-11/1(4)89/नि-2/चार, दिनांक 15-12-1989, एफ आर 17-02/96/चार/ब-9, दिनांक 11-3-1996 एवं एफ-4/2/2003/नियम/चार, दिनांक 15-9-2003.

--•••--

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4/2/2003/नियम/चार, दिनांक 15-9-2003 द्वारा स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता देय है । राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने विचारोपरान्त गृह भाड़ा भत्ता की वर्तमान दरों में पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है । तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-87 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-87 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं :-

क्रं.	शहर/कस्बे की आबादी	गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत)
1	2	3
1.	7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु।	10
2.	3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु।	7
3.	50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु।	5
4.	50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/ अधिकारियों हेतु।	3

Sunita/Rule/2012

MP Education Gyan Deep https://septadeep.blogspot.com

MP Education Gyan Deep
https://septadeep.blogspot.com

2/ यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होगें ।

3/ निम्नानंकित कर्मचारियों/अधिकारियों को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी :-

(क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।

(ग) संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी ।

4/ उपरोक्त गृह भाड़ा भत्ते की दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से प्रभावशील होगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Rule/2012

MP Education Gyan Deep https://septadeep.blogspot.com

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-12/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक / सितम्बर 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/Rule/2012